छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट अपील (सेवा) क्रमांक 208 वर्ष 2012

याचिकाकर्तागण: राजीव कुमार जायसवाल और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

---

30 जनवरी, 2012 को आदेश हेतु सूचिबध्द करे।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट अपील (सेवा) क्रमांक 208 वर्ष 2012

याचिकाकर्तागण: राजीव कुमार जायसवाल और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

उपस्थिति:

पराग कोटेचा, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री यशवंत सिंह ठाकुर, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए उप महाधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(30 जनवरी, 2012 को पारित)

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता, जो शिक्षा कर्मी ग्रेड-I, II और III के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें अब क्रमशः सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) और व्याख्याता (पंचायत) के रूप में पुनः नामित किया गया है, ने उत्तरवादी/राज्य को यह निर्देश जारी करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है कि याचिकाकर्तागण को उनकी नियमितीकरण तिथि से शिक्षा और जनजातीय विभाग का नियमित वेतनमान तथा शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अन्य सभी लाभ प्रदान किए जाएं।

2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि भिन्न वेतनमान देना जो कि शासकीय कर्मचारियों जैसे सहायक शिक्षकों, उच्च श्रेणी के शिक्षकों और व्याख्याताओं से कम है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और चूंकि वे समान कर्तव्यों और

कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए यह उनके समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अधिकार का उल्लंघन है।

विद्वान अधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1997 (संक्षेप में 'नियम, 1997') का अवलंब देते हुए कहा कि उक्त नियमों के तहत शिक्षा कर्मी पंचायत कर्मचारियों के समान अन्य सभी लाभों के हकदार हैं। हालांकि, कई अभ्यावेदनों के बावजूद उत्तरवादी/राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया है।

3. अब तक, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को दिए जा रहे समान मौद्रिक लाभों के प्रावधान में विवाद के संबंध में है, इस न्यायालय ने **श्रीमती गायत्री निर्मलकर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (रिट अपील (एस) क्रमांक 1974/2011)** के मामले में इसी प्रकार की अभिवचन पर विचार किया था। उक्त आदेश की कण्डिका 3, 4 और 5 इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(3) याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि याचिका अपास्त किए जाने योग्य है। नियुक्ति आदेश अनुलग्नक पी/1 से अनुलग्नक पी/5 के रूप में प्रेषित है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वे शिक्षा कर्मी के उस विशेष ग्रेड के लिए लागू पंचायत वेतनमान के हकदार होंगे, जिस पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया है। जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही का संबंध है, इस मुद्दे पर उक्त संगठन द्वारा विचार किया जाना है, जिसने अनुलग्नक पी/7 आदेश पारित किया है, और याचिकाकर्तागण कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निहित प्रावधानों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(4) जहां तक याचिकाकर्तागण द्वारा जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों के कर्मचारियों के समान मौद्रिक लाभ प्रदान करने के दावे का संबंध है, यह देखा जाना

चाहिए कि उक्त प्रश्न राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के दायरे में आता है और रिट न्यायालय राज्य या याचिकाकर्तागण के नियोक्ता को किसी विशेष वेतनमान को निर्धारित करने या शिक्षा कर्मी के अलावा अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ समानता के आधार पर मौद्रिक लाभ प्रदान करने का निर्देश देने वाला कोई परमादेश जारी नहीं कर सकता है। **सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य (1993 (सप्ली) (1) एससीसी 153) और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय कार्मिक स्टाफ संघ (2002) 6 एससीसी 72)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया है कि न्यायालय किसी विशेष वेतनमान को निर्धारित करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं।

(5) भेदभाव की याचिका भी याचिकाकर्तागण के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता अन्य जनपद/जिला पंचायत कर्मचारियों के समान पदों पर कार्यरत नहीं हैं। अनुच्छेद 14 तब लागू होता है जब एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच भेदभाव का आरोप लगाया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता शिक्षा कर्मी हैं और जनपद/जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों के संबंध में आर्थिक लाभों में समानता का दावा कर रहे हैं, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव सिद्ध नहीं होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उपरोक्त के मद्देनजर, तर्क के कथित भाग को, जिसमे इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, अस्वीकार किया जाता है।

5. समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अपनी तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने **गोपाल चावला और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (डब्ल्यू.ए. क्रमांक 596/2010)** मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के युगल पीठ के निर्णय का अवलंब लिया है,

जिसमें यह अभिनिर्णित करते हुए कि उच्च न्यायालय वेतनमान प्रदान करने के संबंध में विधि नहीं बना सकता, मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले पर गौर करने और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक नियम बनाने का निर्देश दिया गया था और ऐसा करते समय, **उत्तर प्रदेश भूमि विकास निगम और अन्य बनाम मोहम्मद खुर्शीद अनवर और अन्य {(2010) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 739}** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया था।

6. **मोहम्मद खुर्शीद अनवर (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संबंधित विभाग में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उठाई गई समानता और रोजगार/समान काम के लिए समान वेतन की अभिवचन पर विचार कर रहा था, जहां नियमित कर्मचारी भी कार्यरत थे और उनके वेतन/वेतनमान में अंतर था। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिकथन किया कि संविदा कर्मचारियों को कम से कम नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस मामले में, याचिकाकर्ता जिनकी नियुक्ति जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों द्वारा की गई है, शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षकों/शिक्षकों/व्याख्याताओं के समान वेतनमान का दावा करते हुए एक विशेष वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार, ये विभाग भिन्न हैं। अतः, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

8. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्तागण को संबंधित जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों द्वारा शिक्षा कर्मी ग्रेड-I, II और III के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए सेवा शर्तें नियम, 1997 के तहत शासित होती हैं। जैसा कि **श्रीमती गायत्री निर्मलकर (उपरोक्त)** के मामले में पाया गया है कि, शिक्षा कर्मी की नियुक्ति पत्र में यह घोषित किया गया है कि वे शिक्षा कर्मी के विशेष ग्रेड के लिए लागू पंचायत वेतनमान के हकदार हैं, इसलिए वे राज्य सरकार के भिन्न विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षकों/शिक्षकों/व्याख्याताओं के वेतनमान के हकदार नहीं हैं। जब सेवा शर्तें,

नियमों के एक निर्धारित सेट और नियुक्ति आदेश में उल्लेखित एक विशेष वेतनमान जो याचिकाकर्तागण को पहले से ही प्राप्त हो रही है, के अंतर्गत शासित होती हैं, तो वे किसी अन्य विभाग के शिक्षकों को स्वीकार्य किसी अन्य वेतनमान का लाभ नहीं मांग सकते है। ऐसा करना 1997 के नियमों को पुनः लिखने के समान होगा, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति की शर्तों और नियमों में परिवर्तन होगा, जिसके लिए इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।

9. **ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन बनाम रक्षा मंत्री-सह-अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सैनिक स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली और अन्य (AIR 1989 SC 88) और मेवा राम कनोजिया बनाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अन्य ((1989) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 235)** के मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के संबंध में निर्णय लेते हुए यह अभिकथन किया है कि वेतनमान की समानता का दावा करने के लिए, दोनों समूहों के नियोक्ता समान होने चाहिए ताकि अनुच्छेद 14 का कठोर प्रावधान लागू हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसी प्रकार, **हरबंस लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य {(1989) 4 एस.सी.सी. 459}** के मामले में, यह अभिकथन किया गया है कि वेतनमान प्रदान करने में कथित भेदभाव एक ही प्रतिष्ठान के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच ही होना चाहिए।

11. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्तागण की सेवाएं भिन्न नियमों के अंतर्गत आती हैं और उनकी नियुक्ति विभिन्न जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों द्वारा की जाती है, जबकि विद्यालय शिक्षा एवं जनजातीय कल्याण विभाग में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है और वे भिन्न नियमों के अंतर्गत आते हैं। अतः, भेदभाव का तर्क याचिकाकर्तागण की सेवा के पक्ष में उपलब्ध नहीं है।

12. **आर. दुरैसामी और अन्य बनाम विद्यालय शिक्षा निदेशक और अन्य (जेटी 2001 (1) एससी 22)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन शिक्षकों के दावे पर विचार किया जा रहा था जो पहले पंचायत संघ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे और बाद में शासकीय उच्च विद्यालय सेवाओं में समायोजित हो गए थे। इन समायोजित शासकीय शिक्षकों ने अभिवचन किया कि उनके समकक्ष, जिन्होंने पंचायत विद्यालयों में रहना चुना, उन्हें उच्च वेतन और बेहतर पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी समान पदोन्नति के अवसरों के साथ समान वेतन दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभिवचन को अपास्त करते हुए कहा कि उच्च विद्यालय में समायोजित होने के बाद, वे पंचायत संघ द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के कैडर का हिस्सा नहीं रह जाते हैं, इसलिए उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा सकता है।

13. यह मामला बिल्कुल समान है क्योंकि याचिकाकर्ता जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों द्वारा नियुक्त किए गए हैं और विद्यालय शिक्षा एवं जनजातीय विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षकों/शिक्षकों के साथ समानता का दावा कर रहे हैं। इसलिए, आर. दुरैसामी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात को लागू करना, तथा वर्तमान याचिका भी सारहीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **एस.सी. चंद्र और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2007) 8 एससीसी 279)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल इसलिए लागू नहीं हो सकता कि कार्य की प्रकृति समान है बावजूद कि योग्यता, नियुक्ति के तरीके, अनुभव आदि भिन्न है। यह अभिनिर्णित किया गया कि वेतन निर्धारण और समानता का निर्धारण एक जटिल मामला है जिसे कार्यपालिका को निभाना है और न्यायालय द्वारा वेतनमान प्रदान करने से एक क्रमिक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

15. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राज्य में बड़ी क्रमांक में शिक्षाकर्मी (संभवतः एक लाख से अधिक) कार्यरत हैं और न्यायालय द्वारा विद्यालय शिक्षा विभाग में कार्यरत

शिक्षकों को देय वेतनमान का लाभ प्रदान करने का कोई भी निर्णय राज्य के खजाने पर गंभीर प्रभाव डालेगा। यही विधि पूर्वक कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह अभिवचन किया है कि वेतन निर्धारण और समानता प्रदान करना कार्यपालिका का कार्य है।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय को इस रिट याचिका में कोई सार नहीं मिलता है, जो अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नूसार अपास्त किया जाता है।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Vidhi Mehta